न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा।

09.03.2026

अभियुक्त अरूण कुमार की ओर से अ0सं0–61/2026 अन्तर्गत धारा–305ए,317(2),324(5) बी0एन0एस0 थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी को झूठा फसांया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 26.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थी को जमानत पर छोड़ा जाये।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अपराध अजमानतीय है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का अपराध अजमानतीय है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्राप्त है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्त का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अरूण कुमार द्वारा 25,000/– रूपये का बंध पत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

(दीपांकर)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।